

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी :- विष्णु बसंत (आर.ए.एस.)

अपील संख्या :- 06/2017

हेमेन्द्र पुत्र राजवीर जाति जाट निवासी ग्राम मानौता कलों तहसील नगर जिला भरतपुर।
-----अपीलान्ट

बनाम

1. शकुन्तला पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी ग्राम मानौता कलों तहसील नगर जिला भरतपुर
2. मीनाक्षी पुत्री राजवीर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी रामनगर एन.ई.बी. के पीछे अलवर जिला अलवर
3. प्रियंका पुत्री राजवीर पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी हिन्दौन फाटक खेडली तहसील कठूमर जिला अलवर
4. तहसीलदार तहसील नगर

-----रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:-

1. श्री गजेन्द्र सिंह सिनसिनवार वकील अपीलान्ट।
2. श्री जमीला खान वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2, 3 ।

आदेश

दिनांक :- 14.02.2024

अपीलान्ट ने यह अपील नामांतरकरण संख्या 1787 बाके ग्राम मानौता कलों सरपंच ग्राम पंचायत मानौता कला के निर्णय दिनांक से व्यथित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि आराजी खाता संख्या 100 खसरा नंबरान 45/0.55, 64/0.20, 75/0.44, 576/0.52, 654/0.84, 669/0.34, 669/0.36, 670/0.07, 671/0.06, 672/0.05, 673/0.22, 374/0.59, 375/0.40, 679/0.91, 680/0.65, 716/0.59, 772/0.07 कित्ता 17 रकबा 7.39 एवं खाता संख्या 410 खसरा नंबरान 1121/0.34, 1122/0.22, 1124/0.08, 1125/0.21, 1126/0.43, 1127/0.47, 1128/0.19, 1129/0.07, 1130/0.14, 1131/0.14, 1137/0.05, 1138/0.59 कित्ता 12 रकबा 2.93 बाके ग्राम मानौता कलों तहसील नगर में स्थित है। खाता संख्या 100 में चन्दा बेवा मूली राजवीर, गजेन्द्र सिंह पिसरान मूली 1/6 हिस्सा व खाता संख्या 410 में चन्दा बेवा मूली राजवीर, गजेन्द्र सिंह पिसरान मूली समभाग 1/4, दर 1/32 के खातेदार काश्तकार है। जिसमें राजवीर फौत हो गये है। राजवीर का

12/3
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राजग

दाखिल खारिज खोलते समय अपीलान्ट का नाम छोड़ दिया गया है राजवीर के वारिसान मे शकुन्तला पत्नि मीनाक्षी, प्रियंका पुत्री व हेमेन्द्र पुत्र है। मृतक राजवीर का दाखिल खारिज खोलते समय वारिसान की जाँच नहीं की गई थी और हल्का पटवाशी द्वारा अपीलान्ट का नाम दर्ज किया और ना ही ग्राम पंचायत मानौता कलौं द्वारा तरदीक करते समय चन्दा के वारिसान की जाँच नहीं कराई गयी। अपीलान्ट का नाम गलत तरीके से रजिर्वंश हटा दिया है जो गलत व विरुद्ध कानून है जिससे नामांतरकरण संख्या 1787 निरस्त किया जाकर पुनः नामांतरकरण जाँच कराकर खोलने के आदेश प्रदान करे। नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 12.12.2017 को हुई एवं दिनांक 13.12.2017 को नकल नामांतरकरण लेकर बगैर देशना अपील पेश की जा रही है। अन्त मे निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर दाखिल खारिज संख्या 1787 को निरस्त किया जावे तथा जाँच कर पुन नामांतरकरण खोलने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोजेन्ट 01 लगायत 03 के पति व पिता स्व. राजवीर सिंह भारतीय नौसेना मे एल.सी.के.(ओ.) नम्बर 108097-ए के पद पर कार्यरत था उसके सर्विस बुक मे परिवार के सदस्यो के विवरण मे अपीलान्ट हेमेन्द्र का कोई विवरण नहीं है और ना ही अपीलान्ट हेमेन्द्र मृतक राजवीर सिंह का पुत्र है। अपीलान्ट ने रेस्पोजेन्टस की जमीन हो हडपने के लिए झुठे व मनगढंत तथ्यो के अधार पर अपील प्रस्तुत की है जो काविल खारिज है। अपीलान्ट हेमेन्द्र मृतक राजवीर सिंह के भाई गजेन्द्र सिंह का पुत्र है जो उसी के साथ रहता है तथा उसके परिवार राशन कार्ड से पूर्णत सावित है। ग्राम पंचायत मानौता कलौं द्वारा पूर्ण जाँच कर रेस्पोजेन्ट संख्या 01 लगायत 03 के हक मे मृतक राजवीर की विरासत का दाखिल खारिज स्वीकार किया है जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा अपील ग्राम पंचायत मानौता कलौं को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार है जिससे विधि अनुसार अपील अपीलान्ट काविल खारिज है। ग्राम पंचायत मानौता कलौं द्वारा दिनांक 17.06.2018 को जाँच कराकर मृतक राजवीर सिंह के वारिसान की जाँच कराकर प्रमाण पत्र जारी किया है तथा मृतक राजवीर सिंह के खाता SBBJ नगर से दिनांक 28.02.2000 को समस्त रकम रेस्पोजेन्ट 01 लगायत 03 ने प्राप्त की थी। अपीलान्ट का कभी भी कोई सरोकार मृतक राजवीर सिंह से नहीं रहा है। अपीलान्ट का पिता गजेन्द्र सिंह परिवहन निगम हॉल डिपो हिण्डोन मे स्टोर मे कार्यरत है जिसकी सेवा पुस्तिका मे भी बतौर पुत्र अपीलान्ट का नाम दर्ज है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है एवं दफा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश नहीं किया गया एवं ग्राम पंचायत मानौता कलौं को पक्षकार नहीं बनाने की सूरत मे अपील विधि अनुसार खारिज योग्य है। अपीलान्ट हेमेन्द्र सिंह का अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 20.07.2004 एवं 20.07.2011 फर्जी तरीके से बनवाये गये है तथा मोनालिसा सैकण्डरी स्कूल के कक्षा 04 व कक्षा 06 के प्रगति पत्र मे फर्जी तरीके से मृतक राजवीर सिंह का नाम पिता के रूप मे गलत दर्ज करा रखा है। प्रवेश फॉर्म व एल.के.जी. एस.आर. नम्बर मे प्रवेश लेते समय हेमेन्द्र के पिता गजेन्द्र सिंह अकिंत था अन्त निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

ish
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीन) राजग

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की सहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, मूल नामांतरकरण संख्या 1787 बाके ग्राम मानौता कलों का अवलोकन किया गया। नामांतरकरण संख्या 1787 में मृतक राजवीर पुत्र मूली की विरासत दर्ज की गई है। राजवीर के वारिसान के रूप में शकुन्तला पत्नि मीनाक्षी, प्रियंका पुत्री के नाम दाखिल खारिज खोला गया है अपीलान्त हेमेन्द्र ने अपने आप को मृतक राजवीर का पुत्र बताते हुए अपना नाम नामांतरकरण में दर्ज कराने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली में उपलब्ध शैक्षणिक दस्तावेजात अंकतालिका कक्षा 04, कक्षा 06, कक्षा 07 जो मोनालिसा सैकण्डरी स्कूल अलवर से जारी की गई इसी प्रकार जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अलवर राज0 से कक्षा 08 बोर्ड परीक्षा की अंकतालिका एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी कक्षा 10 की अंकतालिका में अपीलान्त का नाम हेमेन्द्र पवार माता का नाम शकुन्तला देवी पिता का नाम राजवीर सिंह दर्ज है तथा तहसीलदार नगर से जारी अन्य पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र 21.10.2009 एवं 27.07.2011 भी हेमेन्द्र पवार पुत्र राजवीर सिंह के नाम से जारी किये गये है। फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 359 जारी करने का दिनांक 05.05.2002 वार्ड नं. 07 में परिवार का मुखिया शकुन्तला चन्दा देवी सास, मीनाक्षी पुत्री, हेमेन्द्र पुत्र, एवं प्रियंका पुत्री के नाम अंकित है। इसके अलावा रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.2018 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मानौता कलों में मृतक राजवीर के वारिसान का नाम सतंरा उर्फ शकुन्तला पत्नि प्रियंका लडकी, मीनाक्षी उर्फ मीनू लडकी का नाम अंकित किया गया है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड नं. 007411800351 कार्ड का प्रकार ए.पी.एल. उपभोक्ता का नाम गजेन्द्र पुत्र मूलचन्द मानौता कलों में क्रम संख्या 5 पर हेमेन्द्र पुत्र गजेन्द्र का नाम अंकित है। इस प्रकार मृतक राजवीर के विधिक वारिसान के संबंध में जाँच किया जाना आवश्यक था। जिसकी पालना किये बिना सरपंच ग्राम पंचायत मानौता कलों द्वारा मृतक राजवीर के वारिसान की पूर्ण जाँच किये बिना नामांतरकरण स्वीकार किया गया है जो कानूनी भूल है। इस प्रकार उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है। अत आदेश है कि—

अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 1787 निर्णय दिनांक 22.08.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक राजवीर सिंह के विधिक वारिसान की विस्तृत जाँच कर एवं उभय पक्ष की पूर्ण सुनवाई कर विधि अनुकूल निर्णय पारित करें। तहसीलदार नगर को मूल नामांतरकरण जिल्द नामांतरकरण (1783 से 1830 तक) बाके ग्राम मानौता कलों इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/23/267 दिनांक 29.09.2023 के साथ भिजवायी जा चुकी है। निर्णय की प्रति पालना हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 14.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विष्णु बंसल)
उपरवर्द्ध अधिकारी
नगर (डीग)